मध्यप्रदेश विधान सभा

दिसम्बर, 2014 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 9 दिसम्बर, 2014 (अग्रहायण 18, 1936)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड अधिनियम, 2000 (क्रमांक 6 सन् 2000) की धारा 13 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड का 13 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं पर्यावरण मंत्री, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल (संशोधन) अधिनियम, 2010 की धारा 74 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009 (दिनांक 1.4.2008 से 31.3.2009 तक), वर्ष 2009-2010 (दिनांक 1.4.2009 से 31.3.2010 तक), वर्ष 2010-2011 (दिनांक 1.4.2010 से 31.3.2011 तक) तथा वर्ष 2011-2012 (दिनांक 1.4.2011 से दिनांक 31.3.2012 तक) पटल पर रखेंगे.

(3) श्री राजेन्द्र शुक्ल, जनसंपर्क मंत्री –

(क) मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 1990 (क्रमांक 15 सन् 1990) की धारा 36 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014,

(ख) मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 (क्रमांक 17 सन् 2012) की धारा 12 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-02-2011-तेरह, दिनांक 1 अगस्त, 2014,

(ग) मध्यप्रदेश विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 104 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग का लेखा प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014,

(घ) मध्यप्रदेश विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 105 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन (वित्तीय वर्ष 2013-2014),

पटल पर रखेंगे.

(4) श्री रामपाल सिंह, राजस्व मंत्री मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमाक 20 सन् 1959) की धारा 59 के साथ पठित धारा 258 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-1-2012-सात-शा-6, दिनांक 10 जुलाई, 2014 पटल पर रखेंगे.

(5) श्री लाल सिंह आर्य, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 28 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008 एवं उस पर की गई कार्यवाही का ज्ञापन पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, मण्डीदीप स्थित स्पेशिएलिटी आर्गेनिक प्रा.लि. केमिकल उद्योग से गैस रिसाव होने से उत्पन्न स्थिति की ओर वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री प्रताप सिंह, सदस्य, दमोह जिले के तेंदूखेड़ा वन परिक्षेत्र अंतर्गत वृक्षारोपण कार्य में अनियमितता होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 124-चौरई से निर्वाचित सदस्य, पं. रमेश दुबे को विधान सभा के दिसम्बर, 2014 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

-2-

5. वर्ष 2014-2015 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, वर्ष 2014-2015 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री संजय पाठक, सदस्य, कटनी जिले के –

(क) लुरमी के शासकीय माध्यमिक शाला को हाईस्कूल में उन्नयन किये जाने,
(ख) सलैया कोहारी के शासकीय माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(ग) मुहास नं.1 के शासकीय माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(घ) गोहावल के शासकीय माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(ङ) चरी कोहाई के शासकीय माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने
(च) पड़खुरी के शासकीय माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(छ) बम्हौरी के शासकीय माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
(ज) हदरहटा के शासकीय माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने, तथा
(झ) विजयराघवगढ़ के शासकीय माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(2) श्री इन्दर सिंह परमार, सदस्य, शाजापुर जिले के कालापीपल क्षेत्र की सड़कों का पुन: निर्माण किये जाने,

(3) श्री देवेन्द्र वर्मा, सदस्य, खण्डवा जिले की नगर निगम सीमा क्षेत्र की अवैध कालोनियों को वैध किये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

निर्धारित समय

7. संकल्प

सुश्री कुसुम सिंह महदेले, विधि और विधायी कार्य मंत्री, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगी :-

15 मि. "यह सभा अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (ख) के दायरे में आने वाले भारत के संविधान के संशोधन, जो कि संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान (एक सौ इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 2014 के द्वारा किया जाना प्रस्तावित है, का अनुसमर्थन करती है."

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री उमाशंकर गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2014 (क्रमांक 21 सन् 2014) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(2) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश उपकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 22 सन् 2014) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(3) श्री अंतर सिंह आर्य, श्रम मंत्री, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 23 सन् 2014) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

15 मि. (4) श्री लाल सिंह आर्य, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 20 सन् 2014) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

9. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घन्टा 30 मि. प्रदेश में यूरिया, डी.ए.पी. और अन्य खाद की कमी एवं कालाबाजारी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री रामनिवास रावत, डॉ. गोविन्द सिंह एवं श्री जीतू पटवारी, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 8 दिसम्बर, 2014